न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 05/16

तारीख रजू:– 19.9.16

पीठासीन अधिकारी:– दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस)

उनवान

1. शिवचरण पुत्र बद्री
2. अतरसिंह पुत्र बद्री
3. निहाल सिंह पुत्र बद्री
4. बब्लू पुत्र बद्री
5. केशूला पत्नि बद्री
6. भगवान सिंह पुत्र मूल्या
7. लक्ष्मण पुत्र मूल्या

समस्त जाति गूर्जर निवासी मोरडा तहसील टोडाभीम

अपीलांट

बनाम

1. सरदार पुत्र जगन
2. हरीसिंह पुत्र जगन
3. बदन सिंह पुत्र जगन
4. फूलवती पुत्री जगन

जाति गूर्जर निवासी मोरडा तहसील टोडाभीम

5. ग्राम पंचायत मोरडा जरिए सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत मोरडा तहसील टोडाभीम।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश ग्राम पंचायत मोरडा नामांतकरण सख्या 844 दिनांक 11.6.1977 ग्राम पंचायत मोरडा
उपस्थितिः– श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट (अपीलांट)

निर्णय

दिनांकः– 23.7.19

संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत मोरडा का नामांतकरण संख्या 844 दिनांक 11.6.1977 विधि विरूद्व होने से निरस्त किए जाने योग्य है। यह है कि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट न0 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य है। ग्रम मोरडा की आराजी साबिक ख0न0 1554/2253/3 रकवा 1 बीधा 16 विस्वा, 1554/2253/4 रकवा 1 बीधा 1554/2253/5 रकवा 1 बीधा, 1554/2253/6 रकवा 15 विस्वा कुल किता 4 कुल रकवा 4 बीधा 11 विस्वा जिनके दौराने भू–प्रवन्ध कार्यवाही नवीन ख0न0 1462 रकवा 0.11 , 1464 रकवा 0.10, 1466 रकवा 0.18, 1488 रकवा 0.27, 1489 रकवा 0.26, 1497 रकवा 0.34, कायम किए है। अदालत मातहत द्वारा ग्राम मोरडा का नामांतकरण संख्या 844 दिनांक 11.6.1977 को तस्दीक करते समय रेस्पोडेन्ट न0 1 सरदार को मृतक भौरया का पुत्र बताकर विधि विरूद्व तस्दीक कर दिया। जबकि मृतक भौरया के कोई संतान नही थी। भौरया लाऔलाद फौत हो गया। भोरया के लाओलाद फौत होने

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

के पश्चात उसकी समस्त चल व अचल सम्पत्ति जिसमे विवादित आराजीयात भी शामिल है, के वारिसान भौरया के भाई मूल्या, जगन, बद्री है। जो मृतक भौरया के तर्के पर काबिज चले आ रहे है। लेकिन रेस्पाडेन्ट न0 1 सरदार ने रेस्पाडेन्ट न0 5 ग्राम पंचायत मोरडा से मिलकर सरदार को भौरया का पुत्र बताकर नामांतकरण संख्या 844 दिनांक 11.6.1977 विधि विरूद्व तस्दीक करा दिया। जबकि अपीलांट व रेस्पाडेन्ट न0 1 ता 4 को मिली अन्य आराजीयात मालिकी ख0न0 314, 315, 316, 323 स्थित ग्राम मोरडा की अपीलांट व रेस्पाडेन्ट न0 1 ता 4 के बाबा छोटया के मरने के पश्चात भौरया के लाऔलाद फौत होने पर छोटया के जीवित 3 पुत्र जगन, बद्री, मूल्या के नाम नामांतकरण संख्या 861 दिनांक 8.10.1977 खोला गया। यदि रेस्पाडेन्ट न0 1 मृतक भौरया का पुत्र होता तो नामातकरण संख्या 861 मे भी रेस्पोडेन्ट न0 1 को मृतक भौरया का पुत्र बताते। इसलिए नामांतकरण संख्या 844 दिनांक 11.6.1977 विधि विरूद्व होने से निरस्तनीय है।

मृतक भौरया के कोई औलाद नही थी। ना ही उसने किसी को गोद लिया। रेस्पोडेन्ट न0 1 भौरया का पुत्र नही होकर जगन का पुत्र है। रेस्पोडेन्ट न0 1 ने बहुत ही चालाकी से भौरया का पुत्र बताकर भौरया के हिस्से की आराजी का नामांतकरण संख्या 844 विधि विरूद्व खुलवालिया गया। जबकि भौरया की 1/4 हिस्सा के वारिस उसके भाई मूल्या, जगन, बद्री थे। भौरया के हिस्से की भूमि पर तीनो ही भाई व उसके वारिसान काबिज चले आ रहे है इस कारण से भी नामांतकरण संख्या 844 दिनांक 11.6.1977 विधि विरूद्व होने से निरस्तनीय है।

रेस्पोडेन्ट न0 3 व 4 भी रस्पोन्डेन्ट न0 1 मा जाए भाई होने से आपस मे मिले हुए है, जो कि जगन की औलाद है। निर्वाचक नामावली, राशन कार्ड मे रेस्पोन्डेन्ट न0 1 के पिता का नाम जगन दर्ज है। रेस्पोन्डेन्ट न0 1 ने रेस्पोन्डेन्ट न0 5 से मिलकर चुपचाप, अपीलांट को नोटिस दिए बिना नामांतकरण संख्या 844 अपने नाम खुलवा लिया गया। इस कारण से भी नामांतकरण संख्या 844 दिनांक 11.6.1977 विधि विरूद्व होने से निरस्तनीय है।

अपीलांट को रेस्पो0 1 के भौरया के पुत्र बताने की जानकारी, रेस्पो0 न0 द्वारा रेस्पो0 न0 1 ता 3 से मिलकर न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम के समक्ष उनवानी सरदार बनाम हरीसिंह वगै0 दावा इस्तकरारहक एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत करने पर हुई। जिसमे रेस्पो0 न0 1 द्वारा स्वंय को भौरया का पुत्र बताकर भौरया के हिस्से की खातेदारी चाही गई थी। तब जाकर अपीलांट ने अपने अधिवक्ता से मिलकर दस्तावेज एकत्रित किए, तब जाकर उक्त विधि विरूद्व खोले गये नामांतकरण की जानकारी होने पर जानकारी के दिनांक से अन्दर अवधि यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। साथ मे अलग से परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः अपील अपीलांट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर अदालत मातहत रेस्पो0 न0 5 का आदेश नामांतकरण संख्या 844 दिनांक 11.6.1977 ग्राम मोरडा निरस्त कर ग्रम पंचायत मोरडा को आदेश दिया जावे कि विवादित आराजी हाल ख0न0 1462, 1464, 1466, 1488, 1489, 1497 के संबध मे भौरया पुत्र छोटया लाऔलाद फौत होने पर उसके कानूनी वारिस अपीलांट व रेस्पो0 न0 1 ता 4 के हक मे नामांतकरण खोलकर तस्दीक किया जावे।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)